कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1055 / 2021 / 10–11 / 3520 भोपाल, दिनांक 25-10-21

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषयः– होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत बोरी अभ्यारण्य के वनग्राम सुपलई को विस्थापित / पुर्नवास किए जाने हेतु 339.80 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत् प्रस्ताव।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 8-23/2021-FC दिनांक 24.09.2021 .

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 09 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

प्रकरण में चाही गई जानकारी क्षेत्रसंचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद के पत्र क्रमांक / मा0चि0 / 8448 दिनांक 22.10.2021 से प्राप्त हुई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

अतः प्रकरण में आपके चाहे अनुसार जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

25/10/2021

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1055 / 2021 / 10–11 / 3521 भोपाल, दिनांक 25-10-21

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) होशंगाबाद वृत्त होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।
3. उप संचालक, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।
4. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

25/10/2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

GOI 2021

कार्यालय क्षेत्रसंचालक, सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद, म.प्र.
Phone No. 07574-254394 (O) Fax, 07574-252133 E-mail: ddsatnp.hbd@mp.gov.in

क्रमांक / मा0चि0 / .....8448 होशंगाबाद, दिनांक 22/10/21

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषयः– होशंगाबाद जिलें में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बोरी अभ्यारण्य के वनग्राम सुपलई का विस्थापित / पुनर्वास किए जाने हेतु 339.80 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव ।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / एफ–5 / 1055 / 2021 / 10–11 / 3310 दिनांक 30.09.2021

——0000——

विषयांतर्गत निवेदन है कि, आपके संदर्भित पत्र से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बोरी अभ्यारण्य के वनग्राम सुपलई का विस्थापित / पुनर्वास किए जाने हेतु 339.80 हेक्टेयर वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत तैयार किये गये प्रस्ताव में भारत सरकार, नईदिल्ली द्वारा 9 बिन्दुओं के संबंध में चाही गई जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्रं	उल्लेखित बिन्दु	बिन्दुओं का प्रतिवेदन
i.	The total number of 'villagers' to be rehabilitated in the Village Suplai along with the number of families entitled for relocation or rehabilitation under the scheme be provided	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से विस्थापित वनग्राम सुपलई से लगभग 350 हितग्राहियों को विस्थापन का लाभ प्रदाय किया जाना है।
ii.	The basis of calculation of the total area getting vacated has not been provided, which is required to be given.	कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार एवं दिनांक 24.10.1980 को वनग्रामों के सर्वेक्षण में तैयार किये गये अभिलेखों के अनुसार वनग्राम सुपलई का कुल रकवा 158.000 हेक्टेयर है तथा ग्रामीणों द्वारा 260.000 हेक्टेयर सामुदायिक निस्तार के लिये उपयोग की जा रही है। अतः संरक्षित क्षेत्र के अंदर कुल 418.000 हेक्टेयर भूमि रिक्त होगी।
iii.	Whether the proposed relocation of villagers will make area under the village Suplai inviolate (or not) be clarified.	वनग्राम सुपलई को प्रस्तावित वनभूमि पर विस्थापित / पुनर्वसित किये जाने पर के उपरांत संरक्षित क्षेत्र के अंदर वनभूमि पूर्णतः रिक्त (मुक्त) होगी।
iv.	The State Govt. need to clarify that the area being vacated is a part of the Core/Critical Tiger Reserve or core of the Protected Areas (National Park and WL Sanctuary or not.	वनग्राम सुपलई के विस्थापन से रिक्त होने वाला क्षेत्र बोरी अभ्यारण्य का हिस्सा है।
v.	The forest village Suplai is proposed to be relocated from the Buffer area of Satpura Tiger Reserve. The state govt. may therefore verify whether the proposal is covered within the ambit of the guidelines dated 20.05.2019 or not?	विस्थापन हेतु प्रस्तावित वनग्राम सुपलई सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बोरी अभ्यारण्य के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र के अंदर बफर जोन में स्थित है। वनग्राम सुपलई का विस्थापन भारत शासन, के दिशा निर्देश दिनांक 20.05.2019 से जारी निर्देशो के तहत किया जा रहा है।
vi	The State govt. shall clarify that the proposal fulfills all the conditions laid down in the Ministry's guidelines dated 20.05.2019.	वनग्राम सुपलई का विस्थापन भारत शासन, के दिशा निर्देश दिनांक 20.05.2019 से जारी निर्देशो के तहत किया जा रहा है।

vii.	Power sub-station is located in close proximity and a transmission line is passing through 100 Ha forest patch proposed for diversion in Forest Compartment No RF 225, Range. Sohagpur. State Govt. shall ensure that the above facilities are not required to be shifted on account of relocation of villagers to this area.	वनग्राम सुपलई हेतु कक्ष क्रमांक–आर.एफ.–225 में प्रस्तावित 100.00 हेक्टे. वनभूमि के उपर से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाईन एवं अन्य सुविधाओं के स्थानांतरण की आवश्यकता नही है।
viii.	One of the proposed forest diversion patch comprising 110 ha area [Old online No. FP/MP FVC/118226 2021] is within the Pench-Satpura Tiger corridor and the same can be verified through the KML files of the tiger reserves and corridors available on the NTCA website.	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से वनग्राम सुपलई भाग–1 हेतु कक्ष क्रमांक–पी.–174 में प्रस्तावित 110.00 हेक्टे. वनभूमि का आंशिक भाग सतपुड़ा–मेलघाट कॉरीडोर में आता है एवं आंशिक भाग कॉरीडोर से बाहर है तथा कक्ष क्रमांक–पी.–174 के उत्तरी सीमा में राजस्व क्षेत्र लगा है एवं उत्तर दिशा में वनभूमि नही है।
ix.	The state govt has now submitted a comprehensive proposal for the relocation of village Suplai, therefore it may initiate action to close the smaller proposals submitted earlier.	वनग्राम सुपलई के पुनर्वास हेतु अलग–अलग कुल 04 प्रस्ताव भेजे गये है जो निम्नानुसार है :–

क्र.	विस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम /टोला का नाम	ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या	कक्ष क्र.	प्रस्तावित भूमि (हे.में)
1	सुपलई भाग–1	FP/MP/FVC/118226/2021	पी.–174	110'.000
2	सुपलई भाग–2	FP/MP/FVC/118466/2021	पी.–179	50.000
3	सुपलई भाग–3	FP/MP/FVC/140757/2021	आर.एफ. –225	100.000
4	सुपलई भाग–4	FP/MP/FVC/144001/2021	पी.–273	79.800

(एल.कृष्णमूर्ति) "भा.व.से."
मुख्य वनसंरक्षक एवं क्षेत्रसंचालक
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
होशंगाबाद

पृष्ठां.क्रमांक / मा.चि. / 8449
होशंगाबाद, दिनांक 22/10/21

प्रतिलिपिः– 1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) होशंगाबाद वृत्त, होशंगाबाद की ओर उनके पत्र क्र. / मा.चि. / 2021 / 6129 दिनांक 04.10.2021 के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।

2. वन मण्डलाधिकारी, (सा0) वन मण्डल होशंगाबाद की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक एवं क्षेत्रसंचालक
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
होशंगाबाद